

उत्तराखण्ड शासन,
शहरी विकास अनुभाग-1,

संख्या 120/IV(1)2014-90(सा)2004
देहरादून दिनांक 28 जनवरी, 2014

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2, सन 1916)(उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) की धारा 3 की उपधारा (1) संपठित भारत का राविधान के अनुच्छेद 243थ के खण्ड (2) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके जिला गढ़वाल (पौड़ी गढ़वाल) के नगर पंचायतों एक में विनिर्दिष्ट क्षेत्र को संक्रमणशील क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किये जाने से पूर्ण संविधान के भाग 4 का प्रयोजनार्थ नगर पंचायत, सतपुली के नाम से गठित किये जाने के उद्देश्य से अधिसूचना निर्गत करते हैं और उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा यथापेक्षित अंतिम अधिसूचना संख्या 17/IV(1)2014-90(सा)2004 दिनांक 28 जनवरी, 2014 के पूर्व प्रकाशन के पश्चात् अग्रेतर अधिसूचित करते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 243थ के खण्ड (क) के अधीन नीचे अनुसूची एक में विनिर्दिष्ट क्षेत्र नगर पंचायत सतपुली को प्रादेशिक क्षेत्र होगा।

अनुसूची-एक

क्र०सं०	ग्राम का नाम	गाँव संख्या
01	सतपुली मल्ली	2084
02	सतपुली सींग	1020

3104

(एम०एच०खान)
प्रमुख सचिव।

संख्या 120/IV(1)2014-90(सा)2004 तददिनांक(पंजीकृत पत्र)

प्रतिलिपि निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की को इस आशय के साथ प्रेषित कि वे उक्त अधिसूचना को आगामी असाधारण गजट में प्रकाशित कर उसकी 25-25 प्रतियाँ जिलाधिकारी गढ़वाल, निदेशक शहरी विकास विभाग देहरादून एवं प्रमुख सचिव, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन को प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

आज्ञा से,
(अरविन्द सिंह पांगती)
उक्त सचिव।

संख्या 120/IV(1)2014-90(सा)2004 तददिनांक(पंजीकृत पत्र)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- प्रमुख सचिव श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
- 2- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- 3- सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड।
- 4- सचिव, राज्य वित्त आयोग, सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड शासन।
- 5- निदेशक, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 6- निदेशक, पंचायती राज विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 7- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, देहरादून।